संख्या-360/2017/198/22-2-2017-17(51)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 मई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता पुत्र श्री मंगल निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4064/प्रोबेशन-3/(एम-13-02-2017) दिनांक-13-02-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता पुत्र श्री मंगल, निवासी-सापला वेगमपुर, थाना-नकुड़, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। डा0 राजवीर सिंह का भाई राजपाल सिंह से कृषि भूमि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को प्रात: लगभग 07:00 बजे अभियुक्तगण मनोज व सोनू उर्फ अजय, उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता, सुनील अपने-अपने हाथों में तमन्चे लिये हुए तथा अभियुक्त तेजपाल एवं नरेन्द्र अपने हाथों में चाकू लेकर वादिनी के घर में घुस आये और पति डा0 राजवीर व उसके पुत्र मनीष, आशीष तथा वादिनी के भाई विनोद की गोली मारकर तथा चाकूओं से प्रहार कर हत्या कर दी। घटना के समय अभियुक्त उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता के हाथ में तमन्चा था। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-885/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-2027/2004 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2005द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में लघुकृत किया गया। मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त की पेशी पर जाते समय हत्या हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.02.2017 तक 15 वर्ष 07 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 11 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी को 03 जेल दण्ड दिये गये हैं। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध गम्भीर प्रवृत्ति का अपराध होने, बन्दी की उम्र भी 40 वर्ष से कम है। पुन: अपराध कारित करने से इन्कार नही किया जा सकने, समयपूर्व रिहाई किया जाना उचित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 07.09.2015 में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने डा0 राजवीर सिंह एवं राजपाल सिंह के मध्य कृषि भूमि के विवाद को लेकर मा0 न्यायालय में चल रहे मुकदमें की रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को 06

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 04 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 40 वर्ष लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता पुत्र श्री मंगल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल मिस रिट याचिका सं0-26017/2016 उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ते उर्फ शैलेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता (बन्दी संख्या-9664) पुत्र श्री मंगल निवासी जनपद-सहारनपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-360/2017/198(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-360/2017/198/22-2-2017-17(51)/2017

दिनांक 24 मई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता पुत्र श्री मंगल, निवासी-सापला वेगमपुर, थाना-नकुड़, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। डा0 राजवीर सिंह का भाई राजपाल सिंह से कृषि भूमि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को प्रात: लगभग 07:00 बजे अभियुक्तगण मनोज व सोनू उर्फ अजय, उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता, सुनील अपने-अपने हाथों में तमन्चे लिये हुए तथा अभियुक्त तेजपाल एवं नरेन्द्र अपने हाथों में चाकू लेकर वादिनी के घर में घुस आये और पति डा0 राजवीर व उसके पुत्र मनीष, आशीष तथा वादिनी के भाई विनोद की गोली मारकर तथा चाकूओं से प्रहार कर हत्या कर दी। घटना के समय अभियुक्त उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता के हाथ में तमन्चा था। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-885/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-2027/2004 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2005द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में लघुकृत किया गया। मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त् किये गये, 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त की पेशी पर जाते समय हत्या हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.02.2017 तक 15 वर्ष 07 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 11 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी को 03 जेल दण्ड दिये गये हैं। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध गम्भीर प्रवृत्ति का अपराध होने, बन्दी की उम्र भी 40 वर्ष से कम है, पुन: अपराध कारित करने से इन्कार नही किया जा सकने, समयपूर्व रिहाई किया जाना उचित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 07.09.2015 में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने डा0 राजवीर सिंह एवं राजपाल सिंह के मध्य कृषि भूमि के विवाद को लेकर मा0 न्यायालय में चल रहे मुकदमें की रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 04 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 40 वर्ष लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता पुत्र श्री मंगल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in